International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 27-05-2024, Accepted: 18-06-2024, Published: 12-07-2024
Volume 10, Issue 4, 2024, Page No. 21-23

18वीं शताब्दी के रुहेलखण्ड में रुहेला राज्य की राजस्व व्यवस्था

डॉ. सुधीर कुमार वर्मा
इतिहास विभाग, डी.बी.एस. कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही मध्य एशियाई क्षेत्रों से अफगानों का प्रवास प्रारंभ हो गया था। अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक उत्तर भारत के कटेहर क्षेत्र पर रुहेला अफगानों का आधिपत्य स्थापित हो गया। परिणामतः यह क्षेत्र रुहेलखण्ड के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर स्थापित होने वाले रुहेला अफगान राज्य की अपनी कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक महत्ता रही थी प्रस्तुत शोध पत्र रुहेला राज्य की आर्थिक परिस्थितियों के परीक्षण के संदर्भ में समकालीन क्षेत्रीय राजस्व व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करता है।
सर्वप्रथम रुहेलों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित यह प्रश्न उपस्थित होता है कि रुहेला अफगानों ने अपने नियंत्रण के दौरान यहाँ पर पूर्व स्थापित कृषि–संबंधों एवं राजस्व व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए? रुहेलों के नियंत्रण से पूर्व यहाँ एक अराजकता की स्थिति थी। मुगल बादशाहों द्वारा अपने मनसबदारों को इस क्षेत्र में जागीरें प्रदान की गई थी परंतु ये जागीरदार अपने *नाईब* (प्रतिनिधि) के माध्यम से इन जागीरों का प्रबंधन करते थे। इस व्यवस्था ने रुहेलखण्ड में और अधिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी क्योंकि इन *नाईबों* का मुख्य बल अधिकाधिक राजस्व वसूली पर था, न कि कृषकों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान करने पर था। ये अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैसियत से व्यवहार कर अधिकाधिक राजस्व की वसूली करने लगे थे, जिससे किसानों की स्थिति में और गिरावट आई।[1]

मूलशब्द: 18वीं शताब्दी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व वसूली

जब रुहेला अफगानों का रुहेलखण्ड पर नियन्त्रण स्थापित हुआ तो उन्होंने राजस्व वसूली की प्रक्रिया में उपस्थित इस प्रशासनिक अव्यवस्था को नियन्त्रित करने का प्रयास किया। स्थानीय विद्रोही तत्वों एवं महत्वाकांक्षी जमींदारों को नियन्त्रित कर उन्हें नियमित राजस्व अदायिगी के लिए बाध्य किया। रुहेला शासकों ने अपनी राजस्व आमदनी को बनाए रखने के लिए ग्रामीण स्तर पर कृषकों को भी अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया। कृषि उत्पादन से वह अपने राज्य के राजस्व आधर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। क्षेत्रीय स्तर पर एकत्रित किए गए इसी राजस्व ने रुहेलों की राज्य निर्माण प्रक्रिया में सहयोग किया था। रुहेला शासक इस बात से भी परिचित थे कि मात्र रैय्यतों से राजस्व वसूली के माध्यम से ही राजस्व की आय को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके लिए वह कृषि भूमि विस्तार पर बल दे रहे थे। यहाँ की बंजर जमीनों को कृषि योग्य बनाया और वहाँ पर रैय्यतों को स्थापित किया, जमींदारों पर नियंत्रण स्थापित कर छोटे काश्तकारों (रैय्यतों) की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया।[2] विलियम फ्रेंकलिन अपने अध्ययन में बताते हैं कि "रुहेलों के अन्तर्गत स्थापित जमीन उच्च कोटि की उर्वर भूमि थी, भारत का कोई अन्य क्षेत्र इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। रुहेलों ने यहाँ पर बड़ी मात्रा में जमीनों को आबाद किया और उसे कृषि योग्य बनवाया। यहाँ पर बाग–बगीचे लगवाये, बाँधों एवं नहरों का निर्माण करवाया जिससे यहाँ का उत्पादन बढ़ा।"[3]
रुहेला सरदारों ने अपने राज्य निर्माण की प्रक्रिया के तहत रुहेलखण्ड के जमींदारों एवं उसके *कारिंदों* पर नियन्त्रण स्थापित कर उन्हें अपनी राजस्व व्यवस्था में स्थान दिया। साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि ये जमींदार कृषकों से अधिकाधिक एवं गैर–कानूनी राजस्व की उगाही न कर सके। उन्होंने कृषकों की उत्पादन कार्यों में सहायता हेतु *कृषि ऋण, बीज, हल–बैल* तक की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया ताकि कृषि उत्पादन की बढ़ोत्तरी से अपनी राजस्व आमदनी बढ़ा सके।[4] रुहेला सरदारों ने रुहेलखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों को अपने–अपने अधिकार क्षेत्रों में बाँट लिया था, इसका प्रभाव यह हुआ कि वह अपने अधिकार क्षेत्र की स्थिति के अनुसार कृषि एवं कृषकों की स्थिति के सुधार कर पाए। अली मोहम्मद खान ने बरेली, आँवला, हाफिज़ रहमत खान ने पीलीभीत, नजीबुद्दौला ने सहारनपुर, नजीबाबाद और दुन्देखान ने इटावा आदि क्षेत्रों में कृषि विस्तार के प्रयास किए।[5] इसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी राजस्व आमदनी पर पड़ा था। यह बढ़ोत्तरी तभी संभव थी, जब क्षेत्र के कृषकों के लिए आवश्यक सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराया जाए।
तत्कालीन फ़ारसी स्रोत खयाम चाँदपुरी के *मखजाने निकत* (1755) एवं ब्रिटिश स्रोतों जैसे *डिस्ट्रिक्ट सेटेलमेंट रिपोर्ट* के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह देखा जा सकता है कि रुहेलों ने राजस्व वसूली की प्रचलित मुगल व्यवस्था को ही अपनाया था और स्थापित प्रशासनिक तत्त्वों को अपने प्रशासन में मान्यता प्रदान की थी, परंतु फिर भी उन्होंने कुछ आवश्यक परिवर्तन भी किए थे।[6] जैसे रुहेलखण्ड पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद उन्होंने अपनी सुविधानुसार प्रशासनिक व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण पदों पर अफगान कर्मचारियों की नियुक्ति की और परंपरागत तत्त्वों को विस्थापित करने का प्रयास किया। रुहेला सरदार अली मोहम्मद खान ने रुहेलखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर अपने सहयोगी रुहेला सरदारों को जागीरें आबंटित की और उन्हें स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को बनाये रखने का उत्तरदायित्व दिया।[7] ब्रोडकिन रुहेलखण्ड की जमींदारी व्यवस्था से संबंधित अपने अध्ययन में बताते हैं कि रुहेलों ने यहाँ नियंत्रण स्थापित कर स्थानीय विद्रोही जमींदारों एवं भू–स्वामियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था या फिर इन्हें अपना सहयोगी बना लिया। अली मोहम्मद खान ने स्थानीय प्रशासनिक दफ्तरों में अपने *कारिदों* (प्रतिनिधियों) की नियुक्ति कर दी थी[8], जिसके माध्यम से स्थानीय राजस्व प्रशासन को बनाए रखने का प्रयास किया।
परंपरागत प्रचलित व्यवस्था के साथ ही रुहेलों ने रुहेलखण्ड में राजस्व वसूली के लिए *इजारादारी* या *मुस्ताजिर* व्यवस्था को भी अपनाया, जिसके अन्तर्गत राजस्व की नीलामी होती थी और जमींदार रुहेला सरदारों द्वारा निर्धारित रकम के आधार पर *जमींदारी* खरीदते थे।[9] परंतु यहाँ पर महत्त्वपूर्ण बात यह उजागर होती है कि इस नीलामी व्यवस्था के अन्तर्गत भी रैय्यतों को

अनियंत्रित राजस्व अदायगी का कष्ट नहीं झेलना पड़ा क्योंकि क्षेत्रीय रुहेला सरदार अपने अन्तर्गत स्थापित जमींदारों पर कड़ी नज़र रखते थे और इसके लिये जमींदारों से *कबूलियत* लिखवाई जाती थी, कि वह काश्तकारों पर अत्याचार नहीं करेंगे। इस नीलामी भूमि के आबंटन की अवधि अधिकतम दस वर्ष होती थी। इसके बाद पुनः भूमि की नीलामी की जाती थी, रैय्यतों के हितों का ध्यान रखते हुए *कबूलियत* में कुछ शर्ते रखी जाती थीं जैसे रकम की अदायगी निर्धारित किस्तों में होगी, काश्तकार के जान–माल के हिफाजत की जिम्मेदारी एवं उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की जिम्मेदारी, क्षेत्र में बाग–बगीचों की देख–रेख एवं उनकी वृद्धि के प्रयास और पैदावार में इजाफा करने की कोशिश आदि का पालन जमींदार को अनिवार्य रूप से करना होता था।[10] रुहेलों ने अपनी राजस्व व्यवस्था में यहाँ के स्थानीय समुदायों से भी सहयोग प्राप्त किया अपने राज्य निर्माण में क्षेत्र के परंपरागत तत्त्वों को भी शामिल करने का प्रयास किया जैसे इन्होंने राजस्व व्यवस्था के लिए अधिकतर हिन्दू *दीवानों* की नियुक्ति की थी। इसमें *खत्री* एवं *कायस्थ* समुदाय की विशेष भूमिका थी जैसे दीवान पहाड़ सिंह, दीवान कान्हामल, विलास राय, जय सुखराय, किशनचन्द, रूपराम, चैतराम जैसे कुछ प्रमुख हिन्दू *दीवानों* के नाम उल्लेखनीय है, जो रुहेला सरदारों के दरबारों में कार्य कर रहे थे।[11]

रुहेलों की आमदनी का परीक्षण करने के लिए कोई तत्कालीन विश्वसनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है किन्तु कुछ ब्रिटिश स्रोतों में महत्त्वपूर्ण रुहेला सरदारों की आमदनी का जिक्र किया गया है बेरलेस्ट अपनी रिपोर्ट में हाफिज़ रहमत खान की आमदनी 60 लाख रुपये सालाना और नजीबुद्दौला की 9 लाख रुपये सालाना बताता है।[12] इसके अतिरिक्त *मिज़ान–ए–दानिश* का लेखक हाफिज़ रहमत खान की आमदनी जहाँ 1 करोड़ रुपया बताता है तो वहीं दुन्दे खान की 30 लाख रुपये वर्णित करता है।[13] इसी में वर्णित है कि जब नवाब सादुल्ला खान की मृत्यु हुई थी तो उस समय रुहेलों की आमदनी तीन करोड़ सालाना थी। परन्तु तुलनात्मक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 1760 ई. के बाद रुहेला क्षेत्रों की राजस्व आमदनी लगातार कम हो रही थी। मुगल, मराठों एवं सिक्खों के लगातार आक्रमण के कारण राजस्व व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। साथ ही रुहेलों की आमदनी पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था।[14]

जैसा कि ज्ञात होता है कि रुहेलों ने यहाँ पर कृषि व्यवस्था के विस्तार के लिए प्रयास किए थे। इनके काल में रुहेलखण्ड के उत्तर–पश्चिमी भाग में विशेषकर बिजनौर, पीलीभीत एवं बरेली में कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ था, जिसके कारण रुहेलों की आमदनी भी बढ़ी थी परंतु जब 1774 ई. के बाद अवध ने लगभग तीन दशकों तक यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया तो इस व्यवस्था में पतन का दौर शुरू हो गया। इसका कारण यह था कि अवध को रुहेला क्षेत्र से अधिकाधिक धन की उगाही की, न कि क्षेत्रीय कृषि व्यवस्था की वृद्धि के लिए कोई प्रयास किया। इस सन्दर्भ में उपलब्ध कुछ राजस्व आँकड़ों का अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि 1740 ई. से 1770 ई. के बीच रुहेला क्षेत्र की जो आमदनी थी, उसमें अवध एवं कंपनी के नियंत्रण के बाद काफी गिरावट आई थी। मुशफ्फर आलम संभल और बदायूँ के सन्दर्भ में अपने अध्ययन में राजस्व आँकड़ों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इन क्षेत्रों में अकबर के काल से लेकर 1750 ई. तक राजस्व में 250: की वृद्धि हुई थी, जबकि तुलनात्मक रूप में अवध क्षेत्र में मात्र 85: और कड़ा (इलाहाबाद) क्षेत्र की 134: की ही वृद्धि हुई।[15] चतुरमन सक्सेना की *चहार गुलशन* से इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है कि 1600 ई. से 1800 ई. तक रुहेलखण्ड क्षेत्र में लगातार राजस्व की वृद्धि होती रही, इसका कारण था, इस क्षेत्र में लगातार कृषि व्यवस्था का विस्तार हो रहा था।[16]

रुहेलों के शासन काल में तुलनात्मक रूप से क्षेत्र में राजस्व की वृद्धि देखी जा सकती है क्योंकि *आइन–ए–अकबरी* में संभल एवं मुरादाबाद, बरेली और बदायूँ क्षेत्र के राजस्व का जो उल्लेख प्राप्त होता है, वह रुहेला सरदारों के शासनकाल की अपेक्षा कम है। तुलनात्मक रूप से इस वृद्धि से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, कि रुहेलों के काल में यहाँ पर कृषि भूमि के विस्तार के साथ–साथ सिंचाई और अनुकूल बाजार व्यवस्था ने यहाँ पर आर्थिक स्थितियों को प्रोत्साहन प्रदान किया होगा, जिसे *आइन–ए–अकबरी, चहार गुलशन* एवं *बेरलेस्ट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स* की रिपोर्ट के तुलनात्मक अध्ययन से समझा जा सकता है।

तत्कालीन ब्रिटिश स्रोतों से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि 1801 ई. में जब ब्रिटिश ने रुहेलखण्ड को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया तो वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि अवध की इस क्षेत्र में अव्यवस्था के कारण यहाँ पर राजस्व आमदनी में बड़ी मात्रा में कमी आई। साथ ही स्वयं ब्रिटिश के पास राजस्व वसूली के सक्षम कर्मचारी एवं पूर्ण जानकारी न होने के कारण उनकी आमदनी पूर्वकाल की तुलना में कम ही रही परंतु 1830 ई. के पश्चात् वंफपनी ने रुहेलखण्ड में अध्कि राजस्व वसूली के माध्यम से क्षेत्र की *रैय्यत* का शोषण किया।

इन सबके अलावा अठारहवीं शताब्दी के रुहेलखण्ड में ग्रामीणों पर कुछ अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा था, जो उनकी आमदनी को कम कर रहा था, इनमें कुछ छोटे–छोटे ग्रामीण स्तर के उपकर थे जैसे *गाँव खर्च, चुंगी* एवं *नेग* गाँव खर्च एवं चुंगी जैसे उपकर की वसूली गाँव का *मुखिया* या *मुकद्दम* कर रहा था। यह सामान्यतः कृषकों से उनके उत्पादन के कुछ हिस्से के रूप में लिया जाता था या फिर रुपए में कुछ आना नकद के रूप में गाँव के मुखिया द्वारा वसूला जाता था। इसकी दर रुहेलखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग होती थी, जो जमींदारों द्वारा अपने क्षेत्रों में निर्धरित की जाती थी।[17] *चुंगी कर* जमींदार अपने क्षेत्र के गाँवों से होने वाले अनाज निर्यात पर लगाई जाती थी एवं *चुंगी कर* का संबध् क्षेत्र में होने वाले अनाज व्यापार से था, जो किसानों को उनकी अनाज बिक्री पर लगाया जाता था।

नेग का संबध गाँव में कुछ विशिष्ट जातियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा से था। उदाहरण के लिए जमींदार को सेवा प्रदान करने वाली जातियाँ जैसे *ज्योतिषी, कहार, बढ़ई, नाई, धोबी, धानुक* आदि थी, जो फसलों की उपज से *नेग* के रूप में कुछ अंश प्राप्त करती थीं। उत्पादित फसलों में इनका अपना एक हिस्सा निर्धारित होता था जैसे बढ़ई एवं लोहार प्रति जोत से 7) सेर अनाज प्राप्त करता था।[18] ये जातियाँ केवल जमींदारों को ही सेवा उपलब्ध कराने के बदले यह *नेग* नहीं प्राप्त कर रही थी बल्कि इसका समाज के उच्च वर्गों में अधिक प्रचलन था। यह *नेग* एक प्रकार की *यजमानी* व्यवस्था पर कार्य कर रहा था, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण समाज अपनी उत्पादित फसलों का एक अंश *नाई, धोबी, लोहार, कहार* एवं *बढ़ई* को उनके द्वारा वर्ष भर उपलब्ध कराई गई सेवा के बदले दिया जाता था। यद्यपि यह ग्रामीण कृषकों पर एक प्रकार का कर के रूप में बोझ था परंतु इस व्यय के लिए उन्हें सेवाओं का वहन किया जाता था, अतः इसे ग्रामीण बोझ के तौर पर नहीं गिना जाता था।

निकर्षतः यह देखने में आता है कि रुहेलखण्ड क्षेत्र में रुहेला राज्य की स्थापना का आर्थिक महत्त्व सकारात्मक ही रहा। रुहेला शासकों ने क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को न सिर्फ अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया बल्कि क्षेत्रीय विशिष्टताओं को बनाए रखने में भी सहयोग प्रदान किया। आर्थिक उत्पादन प्रणाली के इसी सकारात्मक वातावरण ने रुहेला राज्य को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया अर्थात् रुहेला शासनकाल में क्षेत्रीय राजस्व आमद में वृद्धि होती रही। इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्थित प्रशासनिक तन्त्र बनाए रखा जोकि मुगलकालीन व्यवस्था पर आधारित था

परंतु क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन भी लाया। आर्थिक अनुकूलता एवं क्षेत्रीय समृद्धता की यह व्यवस्था उस समय कम हो गई जब 1774 ई. में रुहेला युद्ध के बाद रुहेलाखण्ड क्षेत्र पर अवध एवं ब्रिटिश कंपनी का नियन्त्रण स्थापित हो गया।

संदर्भ सूची

1. सिद्दीकी, नफीज़, रुहेला इतिहास एवं संस्कृति 1707–1774, पृ. 468.
2. स्ट्रेची, जॉन, हेस्टिंग्स एण्ड द रुहेला वॉर, पृ. 26–27.
3. फ्रेंकलिन, विलियम, द हिस्ट्री ऑफ द रेन ऑफ शाह आलम, द प्रजेन्ट इम्परर ऑफ हिन्दुस्तान, 1797, पृ. 56–59; हैबर, रेगिनाल्ड, नरेटिव ऑफ अ जर्नी द थ्रू द अपर प्रॉविन्सस ऑफ इण्डिया फ्रॉम कलकत्ता टू बोम्बे, 1824–1825, पृ. 364–66.
4. सिद्दीकी, नफीज़, रुहेला इतिहास एवं संस्कृति, पृ. 468–69.
5. अल्ताफ अली सैयद, बरेलवी, हयात–ए–हाफिज़ रहमत खान, पृ. 107; अली अल्ताफ, बरेलवी, नवाब दुन्दे खान, पृ. 6.
6. चाँदपुरी, खयाम, मखजान–ए–निकत, 1755, अ बायोग्राफिकल, एथनोलॉजी ऑफ अर्लीपोयट्स, उर्दू रेख्ता, उर्दू बुक लाइब्रेरी, 1755, पृ. 49, 72.
7. हेमिल्टन, चार्ल्स, एन हिस्टोरिकल रिलेशन ऑफ द ओरिजन प्रोग्रेस एण्ड फाइनल डिसोल्यूसन ऑफ द गवर्नमेन्ट ऑफ द रुहेला अफगान इन द नॉर्दर्न प्रॉविन्सस ऑफ हिन्दुस्तान, पृ. 115–21.
8. ब्रोडकिन, ई.आई., ''प्रोपरटरी म्यूटेसन एण्ड द मयूटिनी इन रुहेलखण्ड'' द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसायटी, 1969, (28), 4, पृ. 676.
9. सिद्दीकी, नफीज़, रुहेला इतिहास एवं संस्कृति 1707–1774, पृ. 469–70.
10. फिशर, एफ.एच., स्टेटेस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द नॉर्थ–वेस्टर्न प्रॉविन्सस, खण्ड–प, इलाहाबादः अवध गवर्नमेन्ट प्रेस, 1883, पृ. 29–30.
11. सिद्दीकी, नफीज़, रुहेला इतिहास एवं संस्कृति 1707–1774, पृ. 468–69.
12. बेरलेस्ट रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 28 मार्च 1767.
13. हुसैन, इकबाल, द रुहेला चीफटेंस, पृ. 195; (संदर्भित) मिजान–ए–दानिश, 36 बी.
14. हुसैन, इकबाल, द रुहेला चीफटेंस, पृ. 195–96.
15. आलम, मुशफ्फर, द क्राइसिस ऑफ एम्पायर इन द मुगल नॉर्थ इण्डियाः अवध एण्ड द पंजाब 1707–1748, दिल्लीः आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, 1986, पृ. 253.
16. सरकार, जदुनाथ, इण्डिया ऑफ औरंगज़ेबः टोपोग्राफी, स्टेटिक्स एण्ड रोडस, कम्पेयर्ड विद द इण्डिया ऑफ अकबर, कलकत्ताः डायमण्ड पब्लिकेशन, 1911, पृ. 125.
17. टी. एटकिन्सन, एडविन, स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ नॉर्थ–वेस्ट प्रॉविन्सस ऑफ इण्डिया रुहेलखण्ड डिवीजन, खण्ड–ट, भाग पृ. 628–29.
18. टी. एटकिन्सन, एडविन, स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ नॉर्थ–वेस्ट प्रॉविन्सस ऑफ इण्डिया रुहेलखण्ड डिवीजन, खण्ड–ट, भाग पृ. 628–29.